

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान भुवनेश्वर लाल बनाम पवन कुमार आदि

प्रकरण संख्या 40 / २०२० अन्तर्गत धारा २१२ A TA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
--------	-----------------------------------	-------------------------

२२/२५/१८
 आदिवाक्तागण उपरिचिता पत्रावली प्राचीन पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है।
 बहस उभयपक्ष आदिवाक्तागण सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राचीन का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा २१२ A TA अली-आदि साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विणीत होकर गम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।



(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर